25/8/25 पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष को सुना गया। वाद पत्र सहमति से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नेवर्ल कर की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

[signature]

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

-:निर्णय:-

दिनांक 25.08.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण सगे भाई-बहिन है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता स्व0 श्री रामकुमार पुत्र श्री गणपत के नाम से निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है :-

(क) चक 15 आरपी तहसील हनुमानगढ़ जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 93/101 के पत्थर नंबर 140/374 (43) के किला नंबर 3 की 0.253 है0 कमाण्ड। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मतः हक व अधिकार है। वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता का देहांत हो चुका है, प्रतिवादीगण जो वादीगण की बहिने है, ने मुताबिक सामाजिक रीति रिवाज अपने पिता श्री रामकुमार के नाम दर्ज उक्त पैतृक सम्पति में अपना विरास्तन हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

ोन अधिकारीः- (मांगी लाल) RAS

ग संख्याः- 369/2025

1 राजाराम पुत्र स्व0 श्री रामकुमार, जाति जाट, निवासी चक 15 आरपी चक 1 एसटीबी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रामनारायण पुत्र स्व0 श्री रामकुमार, जाति जाट, निवासी चक 15 आरपी चक 1 एसटीबी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 काशीराम पुत्र स्व0 श्री रामकुमार, जाति जाट, निवासी चक 15 आरपी चक 1 एसटीबी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री रामकुमार, जाति जाट, निवासी चक 15 आरपी चक 1 एसटीबी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादीगण

बनाम्

1 शायर देवी पत्नी श्री रामचन्द्र पुत्री श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

2 शीलादेवी पत्नी श्री रामस्वरूप पुत्री श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

3 राममूर्ति पत्नी श्री पवन कुमार पुत्री श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी तन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

4 विमला देवी पत्नी श्री श्रवण कुमार पुत्री श्री रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री विक्रमसिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री मदन गोदारा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व घोषणा की जाकर डिक्री दी जाती है किः- खातेदार रामकुमार पुत्र गणपत के नाम दर्ज चक 15 आरपी के खाता संख्या 93/101 के पत्थर नंबर 140/374 (43) के किला नंबर 3 की 0.253 हैक्टेयर आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार खातेदार रामकुमार का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.08.2025 को जारी किया गया।

(मांगी लाल) RAS

सहायक कलक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

हनुमानगढ